भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 606

उत्तर देने की तारीख : 23.07.2025

एमएएनएफ छात्रवृत्ति में देरी

606. श्री राजा राम सिंह:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फैलोशिप (एमएएनएफ) के छात्र कई माह से मासिक फैलोशिप की राशि न मिलने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा कि व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है और यह विषय सीधे मंत्रालय के सामने उठाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो बारंबार अनुरोध के बावजूद स्वीकृत छात्रवृत्ति राशियों के संवितरण में इतनी देर होने के कारण क्या हैं;

(ग) पात्र व्यक्तियों को समय से फैलोशिप जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विकसित किए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) अल्पसंख्यक छात्रों को फैलोशिप के संवितरण में प्रणालीगत देरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या इन बारंबार होने वाली चूक की जाँच करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है, और यदि हाँ, तो समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों और उस पर की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ): मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (MANF) योजना को 2022-23 से अन्य अध्येतावृत्ति योजनाओं के साथ उसकी ओवरलैपिंग को देखते हुए बंद कर दिया गया है। हालाँकि, मौजूदा MANF अध्येता अपनी संबंधित शिक्षावधि के अंत तक अध्येतावृत्ति प्राप्त करते रहेंगे। अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण जनवरी से MANF के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों का भुगतान नहीं किया गया था। हाल ही में, योजना दिशानिर्देशों/डीबीटी मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार MANF के तहत शामिल किए गए छात्रों को धनराशि जारी करने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया है। इसके बाद, मंत्रालय ने अध्येतावृत्ति के वितरण के लिए नोडल एजेंसी को धनराशि जारी कर दी है।

(ङ) इस मामले के संबंध में कोई विशेष समिति गठित नहीं की गई है।

*****